सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना पर पूछे जाने वाले प्रश्न

तैयारकर्ता : लीला सुदर्शी, उप महाप्रबंधक/मानव संसाधन

प्रश्न 1. क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कोई चिकित्सा योजना है ?

उत्तर : हाँ, एक योजना है जिसे बीएचईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (आर ई सी एच एस) कहते हैं । यह 1 नवंबर, 1985 से लागू है ।

प्रश्न 2. इस योजना के अधीन कौन पात्र हैं ?

उत्तर : यह योजना सेवानिवृत्त बीएचईएल कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होती है :

अ. नियमित कर्मचारी, जिन्होंने कंपनी में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान कर अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए हों और जो कंपनी के नियमानुसार अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवत्त हुए हों परंतु 10 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की हो ।

ब. इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में, उसके पत्नी/पति इस योजना में उल्लिखित योग्यता के मानदंडों को पूरा करने के अधीन सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे ।

स. मृत कर्मचारियों के मामले में, पति/पत्नी को चिकित्सा सुविधाओं (ओपीडी और इनपेशेंट उपचार दोनों) हेतु अन्य नियमों और शर्तों के अधीन उल्लिखित योजना के तहत निर्धारित पात्रता के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होनी आवश्यक है ।

प्रश्न 3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कितना अंशदान लिया जाता हैं ?

उत्तर : सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता से पूर्व अंतिम सेवारत माह के मूलवेतन के आधे के बराबर एक बार भुगतान । ऐसे मृत कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई हो, उनके जीवित पति/पत्नी के संबंध में भी यह योजना लागू होगी । प्रतिवर्ष रूपए 100/- कार्यपालकों हेतु एवं रूपए 50/- गैर-कार्यपालकों के लिए पुनःवैधीकरण शुल्क देय है ।

प्रश्न 4. चिकित्सा उपचार के लिए क्या सुविधाएं हैं ?

उत्तर : कंपनी अनुमोदित अस्पतालों में न्यूरो, हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे, आदि सभी प्रमुख बीमारियों के लिए अस्पताल से इलाज की अनुमति प्रदान की जाती है । कमरे/वार्ड का किराया सेवारत कर्मचारी की तुलना में एक स्तर कम होगा । हितग्राही अनुमानित शुल्क का 20% सीधे अस्पताल को अग्रिम रूप में जमा करेंगे और कंपनी द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर 80% तक की क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी । अस्पताल में जमा की गई राशि को समायोजित करने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, तो अस्पताल से छुट्टी का प्रमाण-पत्र, अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि का विवरण, निदान, अस्पताल से छुट्टी की दिनांक इत्यादि के साथ बिल प्रस्तुत करने पर हितग्राही को उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

प्रश्न 5. क्या एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के उपरांत हुई हो और उसने आरईसीएचएस की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो क्या उसके पति/पत्नी चिकित्सा सुविधाओं हेतु पात्र होंगे ?

उत्तर : ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात हुई हो और जिन्होंने जीवित रहते हुए आरईसीएचएस की सदस्यता नहीं ली थी, परंतु वह आरईसीएचएस की सदस्यता हेतु पात्र थे, उनके पति/पत्नी को योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आरईसीएचएस की सदस्यता लेने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है ।

प्रश्न 6. जो कर्मचारी कंपनी अस्पताल से बाह्य रोगी उपचार (Out patient treatment) सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है ?

उत्तर : जो कर्मचारी कंपनी अस्पताल से बाह्य रोगी उपचार सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें एवं उनके जीवनसाथी को कुल 12,000/- रूपए प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति की जाती है । मृत कर्मचारी की पति/पत्नी भी इस सुविधा के हकदार हैं ।

प्रश्न 7. क्या अन्य कोई सुविधा भी है ?

उत्तर : हाँ, एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपातकालीन स्थिति में ओपीडी खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु 1000/- रूपए वार्षिक या वास्तविक या बीएचईएल नियमों के अनुसार होगी, चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति और कंपनी नियमानुसार नियत प्रतिपूर्ति जो भी कम हो, की जाएगी । यह सुविधा आरईसीएचएस के उन सदस्यों के लिए है जिन्होंने कंपनी अस्पतालों/डिस्पेंसरी से ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुना है और न कि उन लोगों के लिए जिन्होंने बाह्य रोगी उपचार प्रतिपूर्ति का चयन किया है ।

प्रश्न 8. क्या मेडिकल कार्ड का नवीकरण वार्षिक या फिर एक ही बार किया जाता है ?

उत्तर : कार्ड का पुनः वैधीकरण प्रतिवर्ष वार्षिक तौर पर एक अप्रैल के पहले किया जाएगा । प्रतिपूर्ति सुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी जबकि कर्मचारी पंजीकृत हो ।

प्रश्न 9. कंपनी द्वारा अनुमोदित अस्पतालों के तहत किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

उत्तर : गंभीर बीमारियों के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुमानित व्यय का 10,000/- रुपये तक अग्रिम जमा करना होता है और 20% में से शेष राशि के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी सेवारत कर्मचारी से उस शेष राशि के समतुल्य की गारंटी देने का विकल्प दे सकता है (सेवारत कर्मचारी उसी स्थान पर पदस्थ हों) ।